1237/CB
15/10/2023

1312/NE
10/10/23

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर पश्चिम एवं उत्तरी जिला

जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

<u>नीलामी सूचना</u>

जिला न्यायालय रोहिणी के सामान्य भूगृह (जनरल बेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी 16.10.2023 को दोपहर 02:00 बजे **जनरल बेसमेंट पार्किंग** में **"जैसा है जहां है के आधार पर"** की जाएगी। नीलाम की जाने वाली वस्तुएं एवं उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1	सोफे	28	Rs.450/-	Rs.12,600/-
2	कुर्सियाँ (लोहा)	560	Rs.100/-	Rs.56,000/-
3	कुर्सियाँ (लकड़ी)	80	Rs.50/-	Rs.4,000/-
4	घूमने वाली कुर्सियाँ	78	Rs.300/-	Rs.23,400/-
5	बेंच (लोहा)	39	Rs.350/-	Rs.13,650/-
6	टेबल (लकड़ी)	32	Rs.150/-	Rs.4,800/-
7	लोहे की रैक	17	Rs.400/-	Rs.6,800/-
8	लोहे की मेज़	18	Rs.350/-	Rs.6,300/-
9	हॉटकेस	18	Rs.50/-	Rs.900/-
			कुल आरक्षित मूल्य	**Rs.1,28,450/-**

उपरोक्त वस्तुओं के अलावा, व्हील चेयर-7, मंच कुर्सी (लकड़ी-15) और लोहे की अलमारियाँ-12 को भी उनके वजन (नीलामी की तारीख पर ही तौला जाएगा) और रिजर्व के आधार पर नीलाम किया जाएगा। व्हील चेयर की कीमत रु. 37/- प्रति किलोग्राम होगी। लोहे की अलमारियों का आरक्षित मूल्य भी रु. 37/- प्रति किग्रा होगा। मंच कुर्सी (लकड़ी) का आरक्षित मूल्य 5 रूपये प्रति किलोग्राम होगा।

उपरोक्त वस्तुओं के अलावा, कुछ लोहे के स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप और लकड़ी के स्क्रैप की भी नीलामी की जाएगी। लोहे के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रु. 37/- प्रति किलोग्राम, प्लास्टिक स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रु. 20/- प्रति किलोग्राम और लकड़ी के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रु. 5/- प्रति किलोग्राम निर्धारित है।

वर्तमान लागू कर (applicable tax) उपरोक्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होंगे। निवेदक को रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) (लौटाए जाने योग्य) के साथ फोटो परिचय पत्र की एक प्रतिलिपि नीलामी वाले दिन, दिनांक 16.10.2023 (दोपहर एक बजे से पहले) अनुभाग प्रभारी, देख रेख शाखा, पोर्टा केबिन संख्या "H" पंचम तल, जिला न्यायालय रोहिणी में जमा कराने होंगे। **नीलामी कार्य संपन्न होने के पश्चात कुल नीलामी मूल्य की 25% नकद राशि सफल प्रतिभागी से ले ली जाएगी** तथा सभी नीलामी वाली निष्प्रयोज्य वस्तुएं नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायालय परिसर से हटा ली जानी चाहिए। इच्छुक निवेदक / बोलीदाता निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निरिक्षण किसी भी कार्यदिवस को सांय 02.00 से 04.00 बजे के दौरान कर सकता है। अन्य जानकारी देखरेख अनुभाग से प्राप्त की जा सकती हैं। प्रतिभागी अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए आधिकारिक बेबसाइट यानी <u>www.delhidisrictcourts.nic.in</u> पर भी जा सकते हैं। नीलामी नीचे वर्णित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

दीपक डबास

(दीपक डबास)

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी),

जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

नियम और शर्तें

1. जिला न्यायालय रोहिणी के सामान्य भूगृह **(जनरल बेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी 16.10.2023 को दोपहर 02:00 बजे जनरल बेसमेंट पार्किंग में "जैसा है जहां है के आधार पर" की जाएगी।**
2. सभी नीलामी की वस्तुओं का आरक्षित मूल्य रु. 1,28,450/- (एक लाख अट्ठाईस हजार चार सौ पचास रुपये मात्र) लागू कर सहित निर्धारित किया गया है।
3. बोली लगाने वाले को बोली के दिन यानी 16.10.2023 दोपहर 01:00 बजे से पहले शाखा प्रभारी, देखभाल करने वाली शाखा के पास फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) (वापसीयोग्य) नकद जमा करना होगा।
4. सफल बोलीदाता को जीएफआर-2017 के नियम 220(iv) के अनुसार बोली स्वीकार करने पर बोली मूल्य का 25% नकद में जमा करना होगा।
5. कुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा तीन कार्य दिवसों (बैंक अवकाश को छोड़कर) के भीतर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी कोर्ट, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाएगा। असफल होने पर 25% जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. सफल आवेदक द्वारा भुगतान जमा होने के तीन दिन के भीतर अदालत परिसर से नीलम हुई वस्तुएं हटानी पड़ेंगी।
7. सफल बोलीदाता रोहिणी कोर्ट परिसर से नीलाम हो चुकी वस्तुओं को हटाने के लिए अपने स्वयं के श्रम और परिवहन की व्यवस्था करेगा और परिवहन का खर्च उसके द्वारा वहन किया जाएगा।
8. परिषद् का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा तथा बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द भी की जा सकती है।
9. परिषद् नीलामी की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होगा।

दीपक डबास

(दीपक डबास)

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी),

जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

संख्या. 33810-33835 रोहिणी न्यायालय/देख रेख विभाग/2023 दिनांक 07/10/23

जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. व्यक्तिगत सचिव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली।
2. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी जिला न्यायालय परिसरों की कंप्यूटर शाखा के प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ कि नीलामी सूचना एवं नियमों और शर्ते अपनी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें। NIE/KRD
3. सभी शाखा प्रभारी, देख रेख शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि संबंधित सम्बंधित सूचना-पट्ट पर नीलामी सम्बन्धी सूचना चिपकाएं।
4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय रोहिणी को अनुरोध के साथ कि मायापुरी स्क्रैप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिए संबंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।
5. प्रभारी, देखभाल शाखा, रोहिणी न्यायालय, नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु।

दीपक डबास

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी),

जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली